

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/1402

दिनांक 14/10/2021

प्रार्थीगण :-

1. हनुमानराम
2. बाबूलाल पि. रामचन्द्र
3. पूराराम पुत्र वीरमाराम
4. देराजराम
5. भीयाराम
6. पोकरराम पि. भगवानाराम
7. सांवलाराम
8. पदमाराम
9. अमराराम
10. तेजाराम
11. गेनाराम
12. खरथाराम
13. कलाराम
14. भानाराम पि. हीराराम
15. अनुदेवी पत्नि हीराराम, जाति जाट, निवासी खारिया डेर, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. धनाराम पुत्र जेठाराम
2. मगनाराम पुत्र दमाराम जाति जाट, निवासी रतासर
3. गोकलाराम पुत्र मगनाराम
4. रूखमणाराम
5. मगाराम
6. अमराराम पि. श्रीराम, जाति जाट निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 62/2019

दिनांक : 12.10.2021

आदेश


तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 441/963 रकबा 21.12 बीघा एवं खसरा सं. 441/964 रकबा 14.18 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू किसी स्थाई/मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/1403 to 1406
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण हनुमानराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण धनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना


(भूपतिधर उमथी)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 14/10/2021




उपखण्ड अधिकारी
चौहटन